राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

परिशोधन प्रार्थना पत्र संख्या – 44 / 2017 / उदयपुर.

मैसर्स सद्भाव इन्जिनियरिंग लि., उदयपुर. .....प्रार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, बांसवाडा। .....अप्रार्थी.

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री श्याम बोकाडिया,
अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से.

श्री डी.पी.ओझा,
उपराजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 23.11.2017

आदेश

उपरोक्त परिशोधन प्रार्थना पत्र अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 120 / 2015 / उदयपुर में पारित निर्णय दिनांक 14.03.2017 के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया हैं।

प्रार्थी व्यवहारी द्वारा यह प्रार्थना पत्र राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 120 / 2015 / उदयपुर में पारित निर्णय दिनांक 14.03.2017 में अपीलार्थी के अभिभाषक का नाम "श्री श्याम बोकाडिया" के स्थान पर "श्री पी.डी.जावरिया" अंकित हो जाने से इस त्रुटि में सुधार किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।

अपील संख्या 120 / 2015 / उदयपुर से सम्बन्धित रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अपील में पारित निर्णय दिनांक 14.03.2017 में अपीलार्थी अभिभाषक श्री श्याम बोकाडिया अंकित किया जाना चाहिए था, जो त्रुटिवश श्री पी.डी.जावरिया टंकित हो गया है। अतः उक्त अशुद्धि रेकॉर्ड पर परिलक्षित भूल (mistake apparent from the record) की श्रेणी में आने के कारण इसका अधिनियम की धारा 33 के तहत परिशोधन किया जाना न्यायोचित है।

परिणामतः प्रार्थी व्यवहारी के प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 120 / 2015 / उदयपुर में पारित निर्णय दिनांक 14.03.2017 में अपीलार्थी अभिभाषक का नाम **"श्री पी.डी.जावरिया"** के स्थान पर **"श्री श्याम बोकाडिया"** पढ़े जाने का एतद् द्वारा संशोधन किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य